न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

फर्द अहकाम

उनवानी– हुकुमराज पुत्र दयाचन्द मीना **बनाम** फूलादेवी बेवा रोराम मीना नि0 सवाई सागर ईसरदा

किस्म प्रकरण– वाजदायरी प्रार्थना पत्र — **प्रकरण संख्या 15/2024**

जीसीएमएस संख्या 2024/108

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न/ला अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
13.5.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन9 किया कि उनवानी प्रार्थना पत्र निगरानी संख्या 5/2021 जो दिनांक 8.5.2024 को न्यायालय हाजा द्वारा अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज की गयी है उक्त निगरानी को पुनः रिस्टोर करवाने बाबत पेश की गयी है । यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी मोतीझरा बुखार टाईफाईड से बिमार होने के कारण चलने फिरने मे की हालत मे नही था इसलिए प्रार्थी न्यायालय मे उपस्थित नही हो सका तथा प्रार्थी के वकील अन्य अदालत मे व्यस्त होने के कारण प्रार्थी के वकील भी श्रीमान के न्यायालय मे उपस्थित नही हो सके। जिसके कारण प्रार्थी की निगरानी संख्या 5/2021 माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 8.5.20254 को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज की जा चुकी है। अतः प्रार्थी का वाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकर कर उक्त निगरानी को पुनः सुनवायी हेतु नम्बर पर लिये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि उक्त वाजदायरी प्रार्थना पत्र से संबंधित निगरानी संख्या 5/2021 की सुनवायी हेतु वकील प्रार्थी जानबूझकर उपस्थित नही हुआ है क्योकि उक्त निगरानी दिनांक 28.7.2022 से प्रार्थना पत्र के जवाब एवं बहस हेतु नियत है जिसके वकील प्रार्थी द्वारा लगभग 6 अवसर दिया गया है तथा एक अन्तिम अवसर भी दिया गया है। इस प्रकार वकील प्रार्थी को इस प्रार्थना पत्र से संबंधित निगरानी मे जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया गया है । अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत वाजदायरी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया। वकील उभय पक्षों को सुनने एवं वाजदायरी प्रार्थना पत्र से संबंधित निगरानी संख्या 5/2021 की आदेशिका का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि वाजदायरी प्रार्थना पत्र से संबंधित निगरानी मे वकील अप्रार्थी द्वारा मौका रिपोर्ट तलब करवाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब लगभ 32 तारीख पेशी गुजरने के बाद भी पेश नही किया। उक्त अवधि मे पीठासीन अधिकारी द्वारा लगभग 7 पेशी पर कोर्ट ली गयी है जिसमे एक तारीख पेशी पर वकील प्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु अन्तिम अवसर भी दिया गया था। इस प्रकार वकील प्रार्थी को उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र मे सुनवायी का पर्याप्त अवसर दिया गया है किन्तु स्वंय वकील प्रार्थी ही जानबूझकर न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। ऐसी स्थिति मे वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश सुनाया गया। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:12:33 IST
Reason: SelfAttested